राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

जी–3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन फाटक के पास सी–स्कीम जयपुर 302005
दूरभाष सं0 0141–2222403, वेबसाईट www.cmar-india.org, ई–मेल: dlbrajasthan @gmail.com

क्रमांक :– प.2(एसीबी) / सतर्कता / डीएलबी / 2020 / 260 दिनांक : 27/02/2020

परिपत्र

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा अभियोजन स्वीकृति हेतु प्रकरण नियोक्ता अधिकारी नगरीय निकाय होने की वजह से संबंधित निकाय को भेजे जाते हैं जिन पर प्राथमिकता के आधार पर विचार किया जाना होता है। कतिपय प्रकरणों में संबंधित निकाय द्वारा अभियोजन मनाही के बारे में सुनिश्चित किया जाकर कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक नं. 2(157)का / क–3 / 97 दिनांक 30.05.2001 एवं 06.04.2002 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही नहीं की जाकर, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को सीधे ही सूचित कर दिया जाता है।

इस संबंध में आपका ध्यान विभागीय पत्रांक प.2(एसीबी) / सतर्कता / डीएलबी / 2019 / 2391–2591 दिनांक 26.09.2019 की ओर आकर्षित करते हुए पुनः निर्देशित किया जाता है कि अभियोजन स्वीकृति जारी नहीं किये जाने वाले प्रकरणों में, सक्षम अधिकारी अपना निर्णय पारित करने से पूर्व प्रकरणों को राज्य सरकार के माध्यम से मुख्य सतर्कता आयुक्त को अग्रेषित करें तथा उनके निष्कर्ष के उपरान्त ही अंतिम निर्णय जारी किया जाकर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को सूचित किया जाना सुनिश्चित करें। इन निर्देशों की अवहेलना पर सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(उज्ज्वल राठौड़)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक :–प.2(एसीबी) / सतर्कता / डीएलबी / 2019 / 261–474 दिनांक : 27/02/2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, मुख्य सतर्कता आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार।
4. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, निदेशालय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
5. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
6. आयुक्त / अधिशाषी अधिकारीनगर निगम / परिषद् / पालिका,समस्त राजस्थान।
7. प्रोग्रामर आईटी प्रकोष्ठ, निदेशालय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. सुरक्षित पत्रावली।

(रक्षा पारीक)
सहायक निदेशक (सतर्कता)

F:\ADV\NARENDRA JI\N 2019\LOKAYUKTA.docx 45

Scanned with CamScanner